RAJYA SABHA

Tuesday, the 11th August, 1992/20 Sravana, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the clock.

The Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उद्योगों के लिए बैंक ब्याज दरों में संशोधन की मांग

*481. **श्री अजीत जोगी†** :

श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण देने के लिए निर्धारित ब्याज की वर्तमान दरें कितनी-कितनी हैं ;

(ख) क्या अनेक औद्योगिक संस्थानों ने यह मांग की है कि ब्याज की दरों से संबंधित वर्तमान नीति में संशोधन किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

†सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया ।

विवरण

(क) सभी वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की ब्याज दरें ऋणों के आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। 22 अप्रैल, 1992 से प्रभावी बैंक ऋणों पर लागू दरें नीचे दी गई हैं :—

सीमा का आकार	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
(क) 7500/ रु० तक और उसके सहित	11.5
(ख) 7500/रु० से अधिक और 25000/ रु० तक	13.5
(ग) 25000/ रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	16.5
(घ) 2 लाख रु० से अधिक	19.00 (न्यूनतम)

कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामित्व वाले परिवहन परिचालकों को दिये जाने वाले/सावधि ऋणों के लिए 25,000/- रुपये से अधिक और 2 लाख तक के बैंक ऋणों पर ब्याज दर 15.00 प्रतिशत है और 2 लाख रुपये से अधिक पर भी न्यूनतम फ्लोर दर 15.00% है ।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बड़े और मझोले उद्योगों लघु औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों सहित कई क्षेत्रों से वर्तमान ऋण दरों के संबंध में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें ब्याज दरों को कम करने का अनुरोध

किया गया है । बैंकों के लिए ऋण दर ढांचे का निर्धारण करते समय अर्थव्यवस्था के विकास , मुद्रास्फीति की दर, मुद्रा विस्तार की गति, संसाधन जुटाने की लागत और बैंकों की लाभ-प्रदता सहित सभी संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक यह महसूस करता है कि बैंकों के वर्तमान ऋण दर ढांचा उपयुक्त है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि यद्यपि वे ऊंची श्रेणी के ऋणों की वास्तविक ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं फिर भी उनके लिये यह आवश्यक है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार न्यूनतम ऋण दर और विभिन्न ऋण कर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली वास्तविक दरों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए और वस्तुपरक अंतर उचित मानदण्ड अपनायें ।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति जी, बैंकों द्वारा ऋणों पर ब्याज की जो ऊंची दरें लगाई गई है उसका हमारी समग्र आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । एक वर्ष पहले जो वित्त व्यवस्था हमें विरासत के रूप में मिली थी उसको देखते हुए तो संभवत: ऊंची दरें तब लगभग ठीक थीं । पर इस एक वर्ष के बाद वित्त मंत्री जी कहते हैं और हम मानते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है । जब आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है , विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है तो फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों अभी भी ये ऊंची दरें जो कृषि जैसे प्राथमिक सेक्टर के लिए 15 प्रतिशत कम से कम है, व्यापारिक ऋणों पर 19 प्रतिशत कम से कम है और सब जगह इतनी अधिक है हर सेक्टर के लिए कि विश्व में इतनी अधिक दरों पर बैंकों द्वारा ऋण और बहुत कम जगह दिया जाता है । अपने उत्तर में मंत्री जी ने 5 तथ्यों का उल्लेख किया है कि इनके आधार पर हम ऋण की दरें तय करते हैं ग्रथि ऑफ इकोनोमी यह तो बड़ी हीं है । रेट ऑफ इन्फलेशन आप भी कहते हैं कम ही हुआ है, पेस ऑफ मोनि एक्सपेंशन, यह भी नियंत्रण में है, कास्ट ऑफ रेजिंग रिसोर्सेस बेहतर हुआ है, प्राफिटेबिलिटी जरूर आपके स्कैम और दूसरे कारणों से अभी भी प्रश्नचिह उसमें लगा हुआ है । तो ये जो 5 तथ्य आपने बताएं हैं इनमें से अधिक साकारा-त्मक होते हुए भी अब भी आप क्यों उन्हीं पुरानी दरों पर ऋण देना चालू किए हुए हैं और क्यों हमारी अर्थव्यवस्था का इस तरह से गला घोंटा जा रहा है जिससे विकास पर और समग्र रूप से सभी क्षेत्रों के विकास पर ,उद्योग पर, कृषि पर, स्माल सैक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

उपसभापति : जरा आप संक्षेप में सवाल पूछ लें, इससे तो बहुत लंबा हो जाएगा ।

श्री अजीत जोगी : तो क्या आप इन परिस्थितियों के सुधार होने के बावजूद भी उन्हीं दरों पर अब भी कायम हैं और अब भी आप कह रहे हैं कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग है ?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, माननीय सदस्य का जहां तक सवाल है ...

उपसभापति : आप लास्ट सवाल का जबाव दे दीजिए कि मुर्गी की एक टांग है या दो टांग है ।

श्री दलबीर सिंह : ऐसा नहीं है माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा महसूस किया है । जहां इन्टरेस्ट का सवाल है यह ग्रोथ ऑफ इकोनोमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और पेस ऑफ मोनिटरिंग एक्सपेंशन पर निर्धारित होता है और इसी आधार पर हमने किया है । पहले 6 स्लैब थे रेट आफ इन्टरेस्ट के, उनको हमने 22-4-92 से 4 कर दिया है । छोटे कर्ज हैं जो 7500 रुपये तक है उस पर 11.5 प्रतिशत इंटरेस्ट है और 7500 से 25000 तक 13.5 प्रतिशत

है और 25 हजार से दो लाख तक 16.5 परसेंट है और दो लाख से अधिक जो है ...

श्री अजीत जोगी : यह तो उत्तर में दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं जब यह जो सुधार हुआ है तो इसको कम क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : मैं मानता हूं कि ऐसा है कि इंफ्लेशन हमारा जुलाई से 9 परसेंट के करीब है लेकिन उसमें हमको विचार करना है कि इसमें स्थिरता आने के बाद में... **(व्यवधान)**... इंफ्लेशन पर निर्भर रहेगा और माननीय सदस्य जो महसूस कर रहे हैं ऐसा नहीं है । इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है । लेकिन हमारा 9 परसेंट अब भी इन्फ्लेशन रेट है, अभी इसकी स्थिरता को वाच कर रहे हैं । इसके आधार पर ही इस पर आगे का हम सोच सकते हैं ।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति जी, मैंने तो मेरा जवाब नहीं आया, मुर्गी की अब भी एक ही टांग बनी हुई है, पर मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा ।

उपसभापति : आपको टांग नहीं पकड़ी उन्होंने ।

श्री अजीत जोगी : मैं दूसरा पूरक प्रश्न एस०एल०आर० और सी०आर०आर० से संबंधित पूछना चाहता हूं । स्टेचुटरी लिक्विडेटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो, इनकी ऊंची दर होने के कारण बैंकों की बहुत बड़ी पूंजी ब्लॉक हो जाती है, एक ऐसे काम में जहां उनको कोई रिटर्न ठीक से नहीं मिलती है और मैं यह सोचता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है एस०एल०आर० और सी०आर०आर०, जिसके कारण बैंक भी मजबूर हो जाते हैं । नरसिंहमण कमेटी की जो रिपोर्ट आपके पास विचाराधीन है, उसमें भी यह अनुशंसा की गई है कि एस०एल०आर० और सी०आर०आर० कम किया जाना चाहिए । इससे पहले अप्रैल में आपने इसको कम भी किया और उस समय माननीय वित्तमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम इसको बाद में और भी कम करेंगे क्योंकि इससे बैंकों को कम ब्याज की दर पर ब्याज देने के लिए जो सहूलियत होगी उसके अलावा भी जो सरकार की फिसकल डेफिसिट है वह भी कम होती है । इसलिए, उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बैंक दर पर ऋण दे सकें प्राइरिटि सेक्टर में भी और दूसरे सेक्टरों में भी, इसके लिए एस०एल०आर० और सी०आर०आर० को, जो अप्रैल में आपने कम किया है, उसे और कम करेंगे ? और, क्या आप बैंकों को केपिटल मार्केट से इक्विटि रेज करने की अनुमति देंगे ? क्योंकि जो आठ-दस करोड़ की उनकी इक्विटि की आवश्यकता है और जिससे वे और डाउटफुल डैब्ट की रिस्क को कवर कर सकते हैं, जिससे उसकी भी पूर्ति हो सकती है । साथ ही, क्या अब, आप जो कुछ अनुभव अभी तक बैंक की कार्य-प्रणाली का रहा है, उसको देखते हुए, बैंकों की जो बैलेन्स शीट है और बैंकों की जो कार्य-प्रणाली है उसको और अधिक पारदर्शी बनाएंगे, जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक आ सके ?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, बैंकों को हम पारदर्शी बनाएंगे ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी प्रतिस्पर्धा हो । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमारा एस०एल०आर० 30 परसेंट है, जो हमको रखना ही पड़ता है और सी०आर०आर० का जो रेशो है वह 15 परसेंट है । जहां तक आपका जो प्रायरिटि लेण्डिंग सेक्टर का है, 40 परसेंट बैंक को रखना ही पड़ता है । इसके साथ साथ हमको यह भी देखना पड़ता है, कमजोर वर्गों के लिए भी हमको सोचना पड़ता है । समाज के विभिन्न वर्गों के कमजोर जो हैं, उन्हें हम प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि डी०आर०आई० वहां चार परसेंट तक ब्याज है । इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बैंकों का जो ब्याज की दरें हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उसमें बैंकों को भी फायदा हो, उनमें कितना बड़ा स्टाफ है, उसको भी चलाना है और यहां तक हम लेंडिंग पहले अगर

करते हैं तो उसके साथ साथ हम यूनिट वोडिबिलिटि को भी देखते हैं । इसमें आर०बी०आई० ने 18-2-92 को लिखा है और माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, क्यों ज्यादा आप ब्याज ले रहे हैं, उसमें भी बैंकों को उन्होंने दिशा-निर्देश दिये हैं । जो हमारा ब्याज दर 20 प्रतिशत पहले था, 22-4-92 के बाद हमने इसको कम कर दिया है, । इसके आधार पर जो बैंकों को अपनी रिसोर्सेज जुटानी पड़ती हैं । तो माननीय सदस्य सहमत होंगे कि कमजोर वर्गों के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं, उसमें कम इंटरेस्ट पर लैंडिंग करते हैं ।

श्री अजीत जोगी : मैडम, मैंने सी०आर०आर० और एस०एल०आर०, इसे कम करने के बारे में पूछा है । आपने अप्रैल में कहा है कि इसको आप कम करेंगे । तो इसे और कम आप कब करने जा रहे हैं या कम नहीं करने जा रहे हैं? यह स्पष्ट बता दें । किसकी कितनी दर है, यह तो हमें मालूम है ।

श्री बसबीर सिंह : मैडम, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता । इसमें हम विचार करेंगे कि क्या कम हो सकता है या नहीं हो सकता है ।

श्री छोटूभाई पटेल : सर, जो स्टेटमेंट में इफोरमेशन दी गई है . . . **(व्यवधान)** . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is a questioner.

SHRI DIGVIJAY SINGH: What I am saying is that he addressed you as 'Sir'.

SHRI CHHOTUBHAI PATEL: No. I said 'Madam'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am quite used to becoming 'Sir'.

श्री सिकन्दर बख्त : संकट आपका नहीं है, हम सबका है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री छोटूभाई पटेल : मैडम, जो स्टेटमेंट में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, इसमें ज्यादा प्रकाश डालने के लिए मैं मंत्री महोदय से गुजारिश कर रहा हूं । इसमें जो ब्रैकअप दिया गया है कि 7500/- से 25,000/- है, इसके बीच प्राइरिटि सेक्टर में मेरी इन्फोरमेशन के मुताबिक 7,500/- से 15,000/, इसमें जो परसेंटेज है, 12.5 है और उसके बीच 15,000 से 25,00/ इसका परसेंटेज 14 है । तो इन्फारमेशन में भी यही है, उसमें कुछ और बात कही गई हैं तो आप क्या इस पर कुछ ज्यादा प्रकाश डालेंगे? और जो मिनिमम परसेंटेज है 19 प्रतिशत है, पर इससे ज्यादा 23 प्रतिशत तक भी है, जो आपने बताया नहीं है, छिपाए रखा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है?

मेरा अहम सवाल यही है, महोदया, कि जब से इंटरेस्ट बढ़ा है, खुशी की बात यही है कि आर्थिक परिस्थिति में जरूर सुधार हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं । मगर जब परिस्थिति में सुधार हुआ है तो परसेंटेज में भी कमी करनी चाहिए, कम नहीं करने की वजह से हमारा प्रोडक्शन एक्सपेन्सिव ज्यादा हुआ है और इससे प्राइस हाइक पर सीधा असर हुआ है और गरीब लोगों तक यह नहीं पहुंचा है । तो मैं इसके बारे में आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? और अहम बात यही है कि बैंकों का कैश रिजर्व रेश्यो और कैश लिक्विडिटी रेश्यो घटाने से हम बैंक का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं । और उसके सामने साथ में हम ऋण का परसेंटेज भी घटा सकते हैं, बैंक का मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं । तो उसके बारे में आदरणीय मंत्री जी का क्या मंतव्य है, क्या रिप्लाई है, यह मैं जानना चाहूंगा? और छोटी सी बात यही है, गरीबों के लिए मैं कह रहा हूं, कि एग्रीकल्चरल सैक्टर में 15 परसेंट मिनिमम ब्याज की दर है . . .

उपसभापति : मेरे पास 25 सवालों के लिए सप्लीमेंटरी के नाम हैं, आप कृपा करके जरा संक्षिप्त करें तो मंत्री जी संक्षेप में बोल देंगे ।

श्री छोटू भाई पटेल : यह किसानों के लिए बहुत ज्यादा है, तो इसको आप क्या कम करने जा रहे हैं? डी०आर०आई० से, मैडम,

पहले इंदिरा गांधी के टाइम पर जब यह नई सरकार आई इसके पहले एक साल में 4 परसेंटेज के आधार पर कितना ऋण गरीबों को दिया गया था और अब एक साल के बाद कितना दिया गया है ?

उपसभापति : मेन क्वेश्चन यही है उनका कि कितना ऋण दिया गया था और अब कितना दिया गया है, बाकी तो भूमिका थी ।

श्री दलबीर सिंह : माननीया, इसके लिए रेफरेंट नोटिस चाहिए, मेरे पास अभी इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य उसको पूछना चाहेंगे तो मैं बाद में भिजवा दूंगा । जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है इंटरेस्ट का रेट, तो शायद पुराना स्लैब इन्होंने देखा है । इसलिए उनको हमने कम करके, जो पहले 6 स्लैब था, उसको 4 स्लैब ही हमने किया है । जहां तक उन्होंने किसानों की चिंता जाहिर की है, कृषि, लघु उद्योग और दो वाहन तक रखने वाले ट्रांसपोर्टर, आपरेटर्स हैं, उनके लिए 15 परसेंट ही ब्याज रखा है, तो इसमें कोई ज्यादा बात कहने की नहीं है । इसके साथ-साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारी एस.एम.आई. युनिट्स हैं, लघु उद्योग हैं, जहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, इसको पूरा करने के लिए और जो बीमार इकाइयां हैं, उनको हम किस तरह से पुन: जीवित करें, इसके लिए भी हमारी अभी तक एक कमेटी गठित हुई थी, जो डायरेक्टिव कमेटी है, जिसको जून में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन शायद वह अगस्त या सितम्बर तक रिपोर्ट दे देगी । तो ऐसा नहीं है, जो छोटी इकाइयां हैं, उनके लिए हम बराबर ध्यान दे रहे हैं ।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, in part (b), (c) and (d) of the reply it has been mentioned that various representations were made to the Reserve Bank of India and to the Ministry of Finance regarding the bank rates. Is it true that amongst other things, there was also a note by Shri Harsad Mehta on this and that proposal found its way into the Budget? Are there any other details given in that note which was given to you directly, and which may be proposed by the Government?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, हर्षद मेहता का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई ऐसा नोट . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री दिनेश भाई त्रिवेदी : ताल्लुक तो है । नोट तो दिया है ।

श्री दलबीर सिंह : अब आप देखें, जिन्होंने यह आवेदन दिया था आर.बी.आई. को, इसमें सदर्न इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने 8-12-91 को दिया है ।

श्री दिनेश भाई त्रिवेदी : नोट आया है या नहीं आया ?

श्री दलबीर सिंह : ऐसे किसी नोट की हमको जानकारी नहीं है ।

श्री दिनेश भाई त्रिवेदी : आप हां या ना कहें कि नोट आया है या नहीं ?

श्री दलबीर सिंह : नोट आया ही नहीं ।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, I require your protection. It has been reported that the Finance Minister himself has received a note directly from Mr. Harshad Mehta.

SHRI DALBIR SINGH: No. Not at all.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: So we should know the details of it at least.

उपसभापति : फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता रहे हैं ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, I have not received any such note.

उपसभापति : बस, बात खत्म हो गई ।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मैडम, देखा यह गया है कि बैंकों में जो ऋण की लिमिट बांधी जाती है, उस पर बैंक 23 परसेंट तक भी इंटरेस्ट लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इंटरेस्ट के लिए डिस्टिंक्शन करेंगे बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज में और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से कम चार्ज करें, बड़ी इंडस्ट्रीज से ज्यादा चार्ज करें, और दूसरे यह कि जब शुरू में कोई नई इंडस्ट्री लगाई जाती है, क्या सरकार इस पर भी गौर करेगी कि कम से कम तीन साल तक उनको लो-इंटरेस्ट पर लोन दिया जाए ।

श्री दलबीर सिंह : जैसा मैंने रिप्लाई में बताया है कि जो कमेटी बैठी है देखती है कि किस तरह से हमारी लेंडिंग रेटस हों । जहां तक दूसरी बात आपने कही कि 23 या 24 परसेंट ब्याज बैंक लेते हैं, तो उसमें हम यह भी देखते हैं कि कौन सी यूनिट वाएबिल है, उसकी क्या क्रेडिटबिलिटी है और वह समय पर कर्ज पटा पाएगी या नहीं पटा पाएगी और उसी के आधार पर हम निश्चित करते हैं ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Madam, as far as the agricultural sector is concerned, though the rate of interest is a little less, there is lack of cash credit system or overdraft system as is there in existence in the other sectors like trade and industries. For example, the agricultural loan of Rs. 10,000/- is sanctioned at a time. The farmer does not need it at a time. He needs part of it for sowing, part of it for manuring and the rest of it for harvesting. But in the existing system, he is compelled to pay the interest component from the beginning. And, there is every possibility of the amount being diverted to non-agricultural purposes. And, unless he clears the entire amount at the end of the season, he is not eligible for the next lending. Therefore, I would like to know whether there is any proposal under the consideration of the Government to introduce the cash credit system or the overdraft system in this sector also which will relieve the banking personnel from the onerous documentation, verification, legal action, etc. I hope that the Finance Minister will respond.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anybody can respond.

श्री दलबीर सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों की जो कर्ज राशि है, उनको वह एक साथ लम्पसम में नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बाद में भी आवश्यकता होती है । माननीय सदस्य का यह जो सुझाव आया है, उस पर मिनिस्ट्री गौर करेगी । इस तरह से क्या होगा कि बहुत से जो किसान हैं, हम भी यह महसूस करते हैं कि स्टेट्स में जो कोपरेटिव सैक्टर्स हैं, उनसे ऋण ले लेते हैं । जो कोपरेटिव बैंक हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं । हमको उनसे भी बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से इसका हल किया जा सकता है । हम भी उससे सहमत हैं ... **(व्यवधान)**

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Madam, the Minister has not understood the question properly. (*Interruption*) The question relates to bank loan to the agricultural sector, not to the States. The States do not come into the picture. (*Interruptions*). The State Governments are having their own cooperative sectors and others.

श्री दलबीर सिंह : ठीक है, हम कोपरेटिव को छोड़ देते हैं । जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सवाल है, हमने पहले ही रिप्लाई में कहा है कि 22 अप्रैल, 92 से इसमें रेट कम किया है और जैसा मैंने 15 परसेंट के बारे में पढ़ करके आपको पहले ही बताया है ... **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI: Madam Deputy Chairperson, it is an accepted policy that we should give advances to the private sector at a concessional rate of interest. We are all aware that the cost of a truck is not less than Rs. 2 lakhs at present. They want to help the transport operators. The relevant portion in the reply of the Minister reads,

> "For the term loan to agriculture small-scale industries and transport operators owning up to two vehicles, the rates of bank loan over Rs. 25,000/- to Rs. 2 lakhs

is 15.0 per cent and over Rs. 2 lakhs, the same is to have a minimum floor rate of 15.0 per cent."

That is the minimum. They can charge any rate of interest for amounts over Rs. 2 lakhs, even in the case of small transport operators and small-scale industries. I would like to know from the hon. Minister what the concept of the Government is, whether even if small-scale industries want more than Rs. 2 lakhs, they are going to charge any higher rate of interest because it is the floor rate, that is, a minimum rate of 15 per cent. I would like to know whether the Government will revise it. I would also like to know whether the limit of Rs. 2 lakhs at least in respect of transport operators will be revised because the cost of a truck these days is more than Rs. 2 lakhs.

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने पहले ही प्रश्न में सुना होगा कि खासकर इन्हीं चीजों को देखने के लिए नायक कमेटी बैठी हुई है । उसको जो रिपोर्ट देनी थी वह अगस्त में देनी थी । जो इसमें संबंधित अधिकारी है, जो साक्ष्य करेंगे, सुनेंगे . . . (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI: Madam, I am talking about the floor rate. They can charge any rate of interest.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is talking about the floor rate.

श्री दयानन्द सहाय : महोदया, मानव समाज के इतिहास के साथ साथ बैंकिंग बिजनेस, कर्ज लेना और देना आया है और धीरे धीरे हम लोगों ने इसको इंप्रूव किया है । ऐन्टोनियो शाईलॉक की कहानी सब कोई जानता है । आजादी के बाद से हम लोगों ने एक नई व्यवस्था बनाई ? बैंकों को कहा गया कि आप इतने रेट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं । डिपाजिट पर इतने से ज्यादा नहीं दे सकते हैं । लेकिन गत दो वर्षों में क्या हुआ है ? बैंक जब डिपाजिट लेते हैं तो कहने के लिए साढे तेरह परसेंट, लेकिन दो परसेंट, तीन परसेंट, और चार परसेंट के अंडर हेंड दे रहे हैं और कर्ज जब देते हैं तो उनके ऊपर पूरी छूट हो गई है 15 परसेंट, 17 परसेंट, 24 परसेंट । बताइए जो गांव में मनी लैंडर हैं उससे भी रद्दी हालत में बक्स आ गए हैं ग्राहक की पेइंग कैपेसिटी पर सोचते और कहने के लिए ये सभी सरकारी बैंक हैं ।

मैडम, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से एक बात जानना चाहता हूं । ये जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे इंग्लेंड में रूल है कि लाईबर प्लस वन परसेंट या टू पर सेंट अमरीका में रूल है फैडरल रेट प्लस टू परसेंट । क्या अपने देश में भी कोई ऐसा नियम ये बना देंगे कि रिजर्व बैंक का जो लैंडिंग रेट है, उसके ऊपर दो परसेंट, या तीन परसेंट से अधिक कोई बैंक चार्ज नहीं करेगा । ऐसा होना देश हित में है । क्या मंत्री जी इसको कन्फर्म करेंगे ?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, माननीय सदस्य का जहां तक कहना है कि अंडर हैंड डीलिंग के द्वारा भी कुछ बैंक रेट्स कम किए जाते हैं, ऐसा कतई नहीं है । हम खुद चाहते हैं कि किसानों को और छोटे लोगों को जैसे वीवर्स को . . . (**व्यवधान**)

श्री दयानन्द सहाय : मेरा सवाल है कि कोई रूल बना दीजिए कि जैसे फैडरल रेट है, लाईबर रेट है, रिजर्व बैंक का लैंडिंग रेट है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना कोई बैंक चार्ज करेगा ?

श्री दलबीर सिंह : आपने सजेशन दिया है, नायक कमेटी बैठी हुई है इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए और इसमें सभी चीजों को जा रहा है कि कौन सी रेट्स वायेबल होंगी और कितना हम इंटरेस्ट कम कर सकेंगे ? हम यही चाहते हैं । वह कमेटी जून में अपनी रिपोर्ट देने वाली थी, शायद अगस्त-सितम्बर में अपनी रिपोर्ट देगी और खुद हम उससे सहमत हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद विचार करेंगे ।

उपसभापति : कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले अपना सजैशन उन्हें भेज दीजिए ।

मैसर्स खोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड द्वारा अदा किया गया उत्पादन-शुल्क

*482. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स खोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990–91 के दौरान अदा किए गए उत्पाद-शुल्क का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी के आय और व्यय लेखाओं की कभी जांच/लेखा परीक्षा करायी है ;

(ग) यदि हां, तो अब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या लेखाओं की जांच के दौरान किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कम्पनी की और उसके द्वारा देय विभिन्न केन्द्रीय करों के रूप में कितनी सरकारी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मैसर्स खोड़े डिस्टिलरीज ऐसे किसी माल का विनिर्माण नहीं कर रहा है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क प्रभार्य हो । अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) इस कम्पनी के नाम पर विभिन्न केन्द्रीय करों के रूप में बकाया पड़ी सरकारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आयकर (31–7–92 की स्थिति के अनुसार)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
67.59 लाख रुपये	शून्य

श्रीमती सत्या बहिन : महोदया मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के जवाब से बड़ी निराशा हुई है और जहां तक मैं समझती हूं जिसका मैंने उल्लेख किया है मैसर्स खोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड यह सर्वविदित है कि कर चोरी के मामले में जितनी बदनाम ये यूनिट है, इसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि कुछ वर्षों पहले कर चोरी के आरोपों के कारण कर्नाटक सरकार ने इनके मार्केटिंग डिवीजन को टेकओवर किया था क्या यह सही है ? अगर ऐसा किया था तो जाहिर है कि केंद्रीय करों में भी उन्होंने अनियमितता बरती होगी । मेरा सवाल महोदया, सीधा था कि कंपनी के आय-व्यय का कोई ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है । आपने कहा नहीं हुआ है । तो जब नहीं हुआ है जो आपने कर की स्थिति दिखाई है जो आंकड़े दिए हैं, क्या उन्होंने खुद अपने आंकड़े दिए हैं या आपने दिलवाए हैं ? मैं इसके संबंध में ये पूछना चाहती हूं कि इनकी फर्स्ट क्वालिटी की कितनी प्रोडक्शन है और सेकेंड क्वालिटी की कितनी प्रोडक्शन है और दोनों क्वालिटी पर कितना-कितना आयकर इन्होंने आपको बताया है ।

दूसरा ये जो आपने आयकर की स्थिति बताई है ये कब तक आप वसूल करेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सीमा शुल्क के अंतर्गत इस कंपनी से उत्पादित वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है । राज्य सीमा शुल्क ही इस पर लागू है । इसके सारे विवरण राज्य सरकार को पेश किए जाते